कार्यालय—मु०का०अ०
डायरी संख्या......77..........
दिनाँक.......6-5-13

संख्या-214/59-2-2013-21(खा)/09

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उप मुख्य का० अ० (प्रदर्शनी)

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6-5-013
मु०का०अ०

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 | लखनऊ : दिनांक-03/5/2013

विषय-: वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामोद्योग/प्रदर्शनियों का आयोजन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 04/खा0ग्रा0बो0/प्रचारप्रसार/2013-14, दिनांक 02 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया 75,00,000/= (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 एवम् शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अुनसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.-08 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाये।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जॉच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

4. निदेशक, द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध हो जाये।

07/05/13

पेज...............2/-

5. उक्त धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–05 के लेखा शीर्षक ''2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी ग्रामोद्योग–07– ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन–42–अन्य व्यय'' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640 / दस–2013–231 / 2013, दिनांक 28.03.2013 में की गई व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या–214/59–2–2013–21(खा) / 09, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1.
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. एन0आई0सी0 नियोजन अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव